1.4.22 पत्रावली पेश हुई वकील वादी व स्वयं वादी उपस्थित
है वकील वादी व स्वयं वादी को नोट बाद आवाज
लगाई गयी वादगत दूरभाष के न्यायालय के उपर
नहीं है अतः वादी का वाद अंतर्गत हानी अंतर्गत
पेटेंट के अधिनियम किया जाता है पत्रावली पेवल सुनवाई
हेतु वाद तालीख तकमील के दायित्व दफ्तर हो

Signature Not Verified

Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.04.29 13:06:48 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner